न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर

पीठासीन अधिकारी :— सुश्री नवज्योति कंवरिया आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1 / 226 / 2020	16.09.2020	20.02.2024

उनवान

1. नूरा पुत्र पीरमल जाति मेव निवासी ग्राम कड़ूकी तहसील व जिला अलवर राज0।
2. जुहरा पुत्र दलमोड जाति मेव निवासी ग्राम कड़ूकी तहसील व जिला अलवर राज0।

..........वादीगण

बनाम

1. ईसब पुत्र रूस्तम जाति मियांसाहब निवासी ग्राम कड़ूकी तहसील व जिला अलवर राज0।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अलवर जिला अलवर राज0।

...............असल प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषणगण :—

1. श्री संजीव जैन एडवोकेट — वादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि बन्दोबस्त सम्वत 2051 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 0.40, 621 रकबा 0.61, 622 रकबा 0.21, 643 रकबा 0.37, 644 रकबा 0.36, 645 रकबा 0.30 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 301 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 302 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 303 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा (हाल बन्दोबस्त अनुसार नई पैमाईश 2.22 हैक्ट0) वाके ग्राम कड़ूकी तहसील व जिला अलवर राज0 में स्थित है जो आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी मुतनाजा सैटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2051 के अनुसार खाता सं0 55 हाल खसरा नम्बर 620, 621, 622, 643, 644, 645 साबिक खसरा नम्बर 301, 302, 303 में नूरा पुत्र पीरमल 5/8 हिस्सा, ईसब पुत्र रूस्तम मियांसाब 2/8 हिस्सा व जुहरा पुत्र दलमोड मेव 1/8 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। विवादित आराजी मुतनाजा जमाबन्दी सम्वत 2047 के खाता [illegible] 301, 302, 303 में नूरा पुत्र पीरमल मेव 1/2 हिस्सा, ईसब, कल्लू, [illegible] मु0 बन्नो बेवा रूस्तम 1/2 भाग सा0 देह खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड मे [illegible] चला आ रहा था। इसी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर

CamScanner

खातेदार काश्तकारों में से कुछ खातेदार काश्तकारों द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया गया जिनका बैय इन्तकाल उक्त जमाबन्दी में अंकित है। विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2061–64 खाता सं0 58 हाल खसरा नम्बर 620, 621, 622, 643, 644, 645 के अनुसार नूरा पुत्र पीरमल 5/8 हिस्सा, ईसब पुत्र रूस्तम मियांसाहब 2/8 हिस्सा व जुहरा पुत्र दलमोड मेव 1/8 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज चला आ रहा था। विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2065–2068 के खाता सं0 65 के हाल खसरा नम्बर 620, 621, 622, 643, 644 व 645 के अनुसार नूरा पुत्र पीरमल 5/8 हिस्सा राहिन आरजीबी, ईसब पुत्र रूस्तम मियासाहब 2/8 हिस्सा निवासी ठेकडा व जुहरा पुत्र दलमोड मेव 1/8 हिस्सा का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा था। विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 के खाता सं0 78 खसरा नम्बर 620, 621, 622, 643, 644 व 645 के अनुसार ईसब पुत्र रूस्तम निवासी ठेकडा खातेदार राहिन पूर्ण हिस्सा 1/4 आरजीबी शाहपुर डहरा, जुहरा पुत्र दलमोड 1/8 हिस्सा खातेदार व नूरा पुत्र पीरमल 5/8 हिस्सा खातेदार राहिन हिस्सा 5/8 आरजीबी शाहपुर डहरा का अंकन चला आ रहा था। विवादित आराजीयात में से अलीमोहम्मद पुत्र शादी मेव निवासी ग्राम ठेकडा जिला अलवर द्वारा अपने 1/8 भाग की आराजी का तहरीर विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1991 को नूरा पुत्र पीरमल मेव यानि वादी सं0 1 के पक्ष में करा दिया गया। तथा वाद में वर्णित आराजीयात में से मु0 बन्नो बेवा रूस्तम मेव द्वारा अपने 1/8 भाग में से 1/3 भाग यानि 1/24 भाग की आराजी का तहरीरी विक्रय पत्र दिनांक 06.08.1993 को नूरा पुत्र पीरमल मेव यानि वादी सं0 1 के पक्ष में करा दिया गया इसी प्रकार वादी नं0 1 नूरा की वाद में वर्णित सम्पूर्ण आराजी में कुल 2/3 भाग दर्ज किया जाना चाहिए था। किन्तु हाल बन्दोबस्त जमाबन्दी से वर्तमान जमाबन्दी तक नूरा पुत्र पीरमल के नाम 5/8 भाग का अंकन गलत दर्ज किया जा रहा है। विवादित आराजीयात में से रूजदार पुत्र श्री रूस्तम मेव द्वारा अपने 1/8 भाग की आराजी का तहरीरी विक्रय पत्र दिनांक 06.0[illegible] को जुहरा पुत्र दलमोड को करा दिया। तथा विवादित आराजी मु0 बन्नो बेवा रूस्तम मेव द्वारा अपने 1/8 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1993 को जुहरा पुत्र दलमोड को करा दिया था। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

CamScanner

वादी सं0 2 जुहरा पुत्र दलमोड की वाद वर्णित सम्पूर्ण आराजी में कुल 1/6 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए था किन्तु हाल बन्दोबस्त जमाबन्दी से वर्तमान जमाबन्दी तक जुहरा पुत्र दलमोड के नाम 1/8 भाग का अंकन गलत दर्ज किया जा रहा है। जो गलत है राजस्व रिकार्ड में गलत हिस्सो का दुरूस्त कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि बन्दोबस्त सम्वत 2051 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 0.40, 621 रकबा 0.61, 622 रकबा 0.21, 643 रकबा 0.37, 644 रकबा 0.36, 645 रकबा 0.30 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 301 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 302 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 303 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा (हाल बन्दोबस्त अनुसार नई पैमाईश 2.22 हैक्ट0) वाके ग्राम कडूकी तहसील व जिला अलवर राज0 के हाल राजस्व रिकार्ड में वादी सं0 1 नूरा पुत्र पीरमल के 5/8 हिस्से के बजाय 2/3 हिस्सा तथा वादी सं0 2 जुहरा पुत्र दलमोड के नाम 1/8 हिस्से के बजाय 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्से के बजाय 1/6 हिस्सा दर्ज किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से विधिवत तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही आये। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने दावे में समर्थन में स्वयं वादी जुहरा पुत्र दलमोड, हनीफ पुत्र नूरा, शाहबूदीन पुत्र दलमोड के शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत 2069–74 ईक्स–1, खसरा गिरदावरी सम्वत 2073–78 ईएक्स–2, जमाबन्दी सम्वत 2065–2068 ईएक्स–3, जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 ईएक्स–4, जमाबन्दी सम्वत 2057–2060 ईएक्स–5, बन्दोबस्त सम्वत 2051 ईएक्स–6, जमाबन्दी सम्वत 2047 ईएक्स–7, हाल बन्दोबस्त मिलान क्षेत्रफल ईएक्स–8, असल बयनामा [illegible] ईएक्स–9, असल बयनामा दिनांक 17.06.1991 ईएक्स–10, असल बयनामा दिनांक [illegible] ईएक्स–11, असल बयनामा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर

CamScanner

06.08.1993 ईएक्स–12, प्रमाणित प्रति बयनामा दिनांक 28.07.1993 ईएक्स–13 की असल व प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

वादीगण के विद्वान वकील ने लिखित बहस पेश की जो इस प्रकार है कि बन्दोबस्त सम्वत 2051 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 0.40, 621 रकबा 0.61, 622 रकबा 0.21, 643 रकबा 0.37, 644 रकबा 0.36, 645 रकबा 0.30 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 301 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 302 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 303 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा (हाल बन्दोबस्त अनुसार नई पैमाईश 2.22 हैक्ट0) वाके ग्राम कडूकी तहसील व जिला अलवर राज0 में स्थित है जो आराजी वाद में विवादित है। जमाबन्दी सम्वत 2047 के खाता सं0 40 साबिक खसरानम्बर 301, 302, 303 में नूरा पुत्र पीरमल मेव 1/2 हिस्सा, ईसब, कल्लू, रूजदार पुत्रांन रूस्तम, मु0 बन्नो बेवा रूस्तम 1/2 भाग सा0 देह खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चला आ रहा था। इसी दरम्यान खातेदार काश्तकारों में से कुछ खातेदार काश्तकारों द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया गया जिनका बैय इन्तकाल सं0 250, 253, 270 व 02 का अंकन जमाबन्दी कॉलम नं0 11 ला0 13 में अंकित है। सैटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2051 के अनुसार खाता सं0 55 हाल खसरा नम्बर 620, 621, 622, 643, 644, 645 साबिक खसरा नम्बर 301, 302, 303 में नूरा पुत्र पीरमल 5/8 हिस्सा, ईसब पुत्र रूस्तम मियांसाब 2/8 हिस्सा व जुहरा पुत्र दलमोड मेव 1/8 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज कर दिया। तत्समय के 1/8 भाग के खातेदार रूजदार पुत्र रूस्तम मेव द्वारा अपना 1/8 भाग का रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 06.07.1990 को जुहरा पुत्र दलमोड के पक्ष में कर दिया जिसका बय इन्तकाल सं0 253 जुहरा के पक्ष में 1/8 भाग दर्ज हो गया तथा बन्नो बेवा रूस्तम मेव द्वारा अपना 1/24 भाग जर्ये बयनामा दिनांक 02.07.1993 को जुहरा के पक्ष में बेचान कर दिया। इसी प्रकार जुहरा का सम्पूर्ण वाद वर्णित आराजी में 1/6 भाग का अंकन समस्त हाल [illegible] विवादित आराजीयात में से अलीमोहम्मद पुत्र शादी मेव नि[illegible]र द्वारा अपने 1/8 भाग की आराजी का तहरीर विक्रय पत्र [illegible]ल मेव यानि वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर

CamScanner

सं0 1 के पक्ष में करा दिया गया। तथा वाद में वर्णित आराजीयात में से मु0 बन्नो बेवा रूस्तम मेव द्वारा अपने 1/8 भाग में से 1/3 भाग यानि 1/24 भाग की आराजी का तहरीरी विक्रय पत्र दिनांक 06.08.1993 को नूरा पुत्र पीरमल मेव यानि वादी सं0 1 के पक्ष में करा दिया गया इसी प्रकार वादी नं0 1 नूरा की वाद में वर्णित सम्पूर्ण आराजी में कुल 2/3 भाग (मूल भाग 1/2 + बन्नो से खरीदशुदा भाग 1/24 + अलीमोहम्मद से खरीशुदा 1/8 भाग) दर्ज किया जाना चाहिए था। किन्तु हाल बन्दोबस्त जमाबन्दी से वर्तमान जमाबन्दी तक नूरा पुत्र पीरमल के नाम 5/8 भाग का अंकन गलत दर्ज किया जा रहा है। जिसके स्थान पर नूरा पुत्र पीरमल का समस्त वाद वर्णित आराजी में 2/3 भाग समस्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। जमाबन्दी सम्वत 2047 के अनुसार रूस्तम के चार उत्तराधिकारियों (ईसब, कल्लू, रूजदार, मु0 बन्नो) में से ईसब का 1/8 भाग ही राजस्व रिकार्ड की आगामी जमाबन्दीयों में किया जाना चाहिए था किन्तु तत्पश्चात बन्दोबस्त सर्वे प्रारम्भ होने के प्श्चात बन्दोबस्त कर्मचारियान द्वारा ईसब मेव का भाग 1/8 के स्थान पर 1/4 भाग दर्ज कर दिया गया। तथा आगामी जमाबन्दियो में इसी प्रकार का गलत इन्द्राज होता रहा। जिसको दुरूस्त किया जाकर ईसब का 1/8 भाग समस्त कागजात माल में दर्ज किया जाना चाहिए था। राजस्व व बन्दोबस्त कर्मचारियान द्वारा गलत व बेजा रूप से मनमनी पृविष्ट दर्ज की गई जिस गलत इन्द्राज को हाल राजस्व रिकार्ड में कलमजन कर खातेदारों की प्रवृष्टियों को दुरूस्त किया जाकर वादी सं0 1 नूरा का 2/3 व वादी सं0 2 जुहरा का 1/6 भाग व प्रतिवादी सं0 1 का 1/6 भाग समस्त हाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया वादीगण के विद्वान वकील की लिखित बहस पर मनन किया। दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2069–74 ईक्स–1, खसरा गिरदावरी सम्वत 2073–78 ईएक्स–2, जमाबन्दी सम्वत 2065–2068 ईएक्स–3, जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 ईएक्स–4, जमाबन्दी सम्वत 2057–2060 ईएक्स–5, बन्दोबस्त स[illegible] सम्वत 2047 ईएक्स–7, हाल बन्दोबस्त मिलान क्षेत्रफल ईएक्स–8, असल [illegible] दिनांक 06.07.1990 ईएक्स–9, असल बयनामा दिनांक 17.06.1991 ईएक्स–10, असल बय[illegible] दिनांक 02.07.1993

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested

Navj
सहायक कलक्टर
अलवर

CamScanner

ईएक्स–11, असल बयनामा दिनांक 06.08.1993 ईएक्स–12, प्रमाणित प्रति बयनामा दिनांक 28.07.1993 ईएक्स–13 की असल व प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बन्दोबस्त कर्मचारियान द्वारा गलत व बेजा रूप से मनमनी पृविष्ट दर्ज की गई जिस गलत इन्द्राज को हाल राजस्व रिकार्ड में कलमजन कर खातेदारों की प्रवृष्टियों को दुरुस्त किया जाकर वादी सं0 1 नूरा का 2/3 व वादी सं0 2 जुहरा का 1/6 भाग व प्रतिवादी सं0 1 का 1/6 भाग समस्त हाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि बन्दोबस्त सम्वत 2051 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 0.40, 621 रकबा 0.61, 622 रकबा 0.21, 643 रकबा 0.37, 644 रकबा 0.36, 645 रकबा 0.30 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 301 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 302 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 303 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा (हाल बन्दोबस्त अनुसार नई पैमाईश 2.22 हैक्ट0) वाके ग्राम कडूकी तहसील व जिला अलवर राज0 के हाल राजस्व रिकार्ड में वादी सं0 1 नूरा पुत्र पीरमल के 5/8 हिस्से के बजाय 2/3 हिस्सा तथा वादी सं0 2 जुहरा पुत्र दलमोड के नाम 1/8 हिस्से के बजाय 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्से के बजाय 1/6 हिस्सा दुरूस्त किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में सही अंकन करने हेतु तहसीलदार अलवर को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री नवज्योति कंवरिया)
आरएएस
सहायक कलेक्टर अलवर
सहायक कलेक्टर, अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री नवज्योति कंवरिया आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/226/2020	16.09.2020	20.02.2024

उनवान

1 नूरा पुत्र पीरमल जाति मेव निवासी ग्राम कडूकी तहसील व जिला अलवर राज0।
2. जुहरा पुत्र दलमोड जाति मेव निवासी ग्राम कडूकी तहसील व जिला अलवर राज0।

.........वादीगण

बनाम

1 ईसब पुत्र रूस्तम जाति मियांसाहब निवासी ग्राम कडूकी तहसील व जिला अलवर राज0।

2 श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अलवर जिला अलवर राज0।

..............असल प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषणगण :–

1. श्री संजीव जैन एडवोकेट – वादीगण

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि बन्दोबस्त सम्वत 2051 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 0.40, 621 रकबा 0.61, 622 रकबा 0.21, 643 रकबा 0.37, 644 रकबा 0.36, 645 रकबा 0.30 है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 301 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 302 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 303 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा (हाल बन्दोबस्त अनुसार नई पैमाईश 2.22 हैक्ट0) वाके ग्राम कडूकी तहसील व जिला अलवर राज0 के हाल राजस्व रिकार्ड में वादी सं0 1 नूरा पुत्र पीरमल के 5/8 हिस्से के बजाय 2/3 हिस्सा तथा वादी सं0 2 जुहरा पुत्र दलमोड के नाम 1/8 हिस्से के बजाय 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्से के बजाय 1/6 हिस्सा दुरूस्त किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में सही अंकन करने हेतु तहसीलदार अलवर को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/03/2024 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

(सुश्री नवज्योति कंवरिया)
आरएएस
सहायक कलक्टर, अलवर

सहायक कलक्टर अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested

CS CamScanner